राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांक–प. 7(1)कार्मिक/क–2/99 पार्ट जयपुर, दिनांकः 14 MAR 2022

1. समस्त अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
2. समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स सहित)।

परिपत्र

विषयः– अ.जा./अ.ज.जा./पिछडा वर्ग/अति पिछडा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के ऐसे अभ्यर्थियों, जिन्हें उनकी योग्यता के आधार पर अनारक्षित प्रवर्ग की रिक्तियों के प्रति चयनित किया गया है, के चयन वर्ग की गणना के संबंध में।

इस विभाग द्वारा निर्गत समसंख्यक परिपत्र दिनांक 26.07.2017 एवं 14.09.2020 (कार्मिक विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध) के माध्यम से आरक्षित वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी, जिनका चयन उनकी योग्यता के आधार पर अनारक्षित प्रवर्ग की रिक्तियों के विरूद्ध हुआ है, के संबंध में विस्तृत निर्देश/सिद्धान्त प्रसारित किये गये हैं।

यह देखा गया है कि किसी पद पर सीधी भर्ती प्रक्रिया में नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा जारी किये जाने वाले नियुक्ति आदेशों में आरक्षित वर्ग के स्वयं की योग्यता के आधार पर अनारक्षित प्रवर्ग की रिक्तियों के विरूद्ध चयनित अभ्यर्थियों के चयन वर्ग का उल्लेख नहीं किया जाता है। नियुक्ति आदेश में चयन वर्ग का उल्लेख नहीं होने के कारण विभागों द्वारा संधारित की जाने वाली रोस्टर पंजिकाओं में ऐसे कार्मिकों का इन्द्राज सही रोस्टर पॉइन्ट पर नहीं होता है, जिससे भविष्य में नवीन भर्ती/पदोन्नति हेतु रिक्तियों का सही वर्गवार निर्धारण नहीं हो पाता है। साथ ही ऐसे कार्मिकों की उच्च पद पर पदोन्नति में भी त्रुटियॉ रहने की संभावना रहती हैं। रोस्टर पंजिका में कार्मिक के वर्ग की सही प्रविष्टि न होने के कारण कई बार विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंषाओं को भी रिव्यू करना पड़ता है एवं इस आधार पर न्यायिक विवाद भी उत्पन्न होते हैं।

उक्त के दृष्टिगत समस्त नियुक्ति प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि सीधी भर्ती में जारी किये जाने वाले नियुक्ति आदेश एवं विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंषाओं के आधार पर जारी होने वाले पदोन्नति आदेश में नियुक्त/पदोन्नत कार्मिकों का चयन जिस वर्ग की रिक्तियों के विरूद्ध हुआ है, का स्पष्ट उल्लेख निम्नानुसार किया जाना सुनिश्चित करावें –

क्र.सं.	मेरिट क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम/पिता का नाम	वर्ग	टिप्पणी

Jyoti/Year 2022/Circular//5

यदि किसी अभ्यर्थी का चयन उसके मूल वर्ग के अतिरिक्त अन्य वर्ग में हुआ है, तो चयनित वर्ग का उल्लेख टिप्पणी के कॉलम में किया जाये। जिन अभ्यर्थियों का चयन उनके मूल वर्ग में ही हुआ है, उनके संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की जाये तथा उनका चयन वर्ग वही होगा जो उसका मूल वर्ग है।

10/3/22

(हेमन्त कुमार गेरा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव।
3. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव गण।
4. सचिव, राज0 लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. सचिव, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

(जय सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

16/2022

Jyoti/Year 2022/Circular//6